माननीय न्यायाधीश आर.एन.मित्तल, के.एस.तिवाना और एस.एस.दीवान के समक्ष

हरियाणा राज्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

ईशर दास, प्रतिवादी।

1982 की आपराधिक अपील संख्या 434-डीबीए।

14 मार्च 1985.

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954 का XXXVII): - धारा 7 और 16 - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 - नियम 7, 17, 18 और 22-ए - नियम 17 में निहित सार्वजनिक विश्लेषक को नमूने भेजने की प्रक्रिया और 18—इन नियमों के प्रावधान–चाहे अनिवार्य हों–इन नियमों का पालन न करना–चाहे पूरी कार्यवाही को दूषित कर देता हो।

माना गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 17 द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें प्रदान की गई औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए। यदि इनमें से किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है, तो पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है। नियमों का उद्देश्य विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक तक पहुंचने तक नमूने की पहचान सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक विश्लेषक के कार्यालय में पारगमन के दौरान नमूने के साथ छेड़छाड़ या बदलाव न किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया नमूना सार्वजनिक विश्लेषक तक पहुंच गया है, यह नियम 17 में प्रदान किया गया है कि फॉर्म VII होना चाहिए। खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूने के सीलबंद कंटेनर के साथ एक सीलबंद पार्सल में सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया। वर्ष 1977 में नियम 17 में संशोधन किया गया था और जब हम पुराने और नए नियमों को पढ़ते हैं तो यह सामने आता है कि नए नियम के अनुसार खाद्य निरीक्षक को जब्त किए गए नमूने और फॉर्म VII को सीलबंद स्थिति में तुरंत सार्वजनिक विश्लेषक के पास भेजना होगा, लेकिन बाद में नहीं। कार्य दिवस। यहां तक कि फॉर्म VII को भी सीलबंद हालत में भेजना होगा। पहले, इसे केवल नमूने के साथ संलग्न किया जाना था। नियम 17 (ए) में दिए गए तरीके से सील किए गए नमूना कंटेनर और फॉर्म VII को तुरंत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण

के पास जमा करना होगा, लेकिन अगले कार्य दिवस से पहले नहीं। यह संशोधन नमूने के साथ किसी भी छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने के कदमों पर जोर देता है। इस नियम के प्रत्येक चरण में 'करेगा' शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे इसकी भाषा के अनिवार्य स्वरूप पर कोई संदेह नहीं रह जाता है। यदि सार्वजनिक विश्लेषक नमूने को नियम 17 और 18 के अनुरूप नहीं पाता है या नियमों के किसी प्रावधान को दोषपूर्ण पाता है, तो वह नमूने की जांच नहीं करेगा। उसे नियमों में निर्धारित प्रपत्र VII में नमूने और उसके साथ सामग्री की स्थिति नोट करनी होगी। यह प्रति-जाँच इस राय को बल देती है कि नियम 17 अनिवार्य है। इसी तरह नियम 18 भी अनिवार्य है और इसका सख्ती से पालन करना होगा.

(पैरा 7 एवं 9)।

1. हरियाणा राज्य बनाम मोहन लाल, आपराधिक अपील 1203 ऑफ़ 1977 का निर्णय 6 सितंबर, 1979 को हुआ।

2. म्यूनिसिपल कमेटी, अमृतसर बनाम करनैल सिंह, 1978 पी.एल.आर. 717.

3. हरियाणा राज्य बनाम राम लाल सीआर। 1979 का अ. क्रमांक 753, 9 मार्च 1981 को निर्णय हुआ।

4. हरियाणा राज्य बनाम सावन राम, 1982(2) सी.एल.आर. 97.

खारिज कर दिया गया।

(मामले को 25 जून 1982 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी और माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एन. मित्तल की खंडपीठ द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया था, मामले में आपराधिक विविध। 1982 का 2741 अब सीआरएल के रूप में माना जाता है। अपील संख्या ...434- इस अपील में उत्पन्न होने वाले कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके संबंध में इस माननीय उच्च न्यायालय के अधिकारियों के टकराव के निर्णय के लिए 1982 का डीबीए। माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल की बड़ी पीठ , माननीय श्री न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह तिवाना और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान ने अंततः 14 मार्च, 1985 को मामले का फैसला किया)।

श्री गोरख नाथ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील। दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 ने श्री जे. डी. चांदना, उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पानीपत की 12 और 15 सितंबर, 1981 की प्रतिवादी को दोषी ठहराने वाली याचिका को पलट दिया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर.के. झिंगन।

प्रतिवादी की ओर से सी. बी. गोयल, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायधीश. एस तिवाना

(1) ईशर दास प्रतिवादी वातित पानी का व्यापार करता है और इसे पानीपत शहर में अपनी दुकान पर जनता को बेचता है। 3 जून, 1975 को श्री जगन नाथ रहेजा पी.डब्लू. 1, डॉ. आर. मित्तल पी.डब्ल्यू.2 की कंपनी में खाद्य निरीक्षक प्रतिवादी की दुकान पर गए। उनके साथ हरभजन सिंह भी शामिल थे. प्रतिवादी के पास सार्वजनिक बिक्री के लिए क्राउन कोला के नाम से वातित पानी की 55 बोतलें हैं। अपनी पहचान बताने के बाद, खाद्य निरीक्षक ने रुपये के भुगतान पर क्राउन कोला की नौ बोतलें खरीदीं। 13.50. नौ बोतलों को तीन अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया था, प्रत्येक भाग में तीन बोतलें थीं और उन्हें विधिवत लपेटा गया, पार्सल में बदल दिया गया और सील कर दिया गया। नमूनों पर उनकी पहचान के बारे में लेबल चिपकाए गए थे। एक नमूना मौके पर ही रसीद के बदले प्रतिवादी को दिया गया। फॉर्म VII की दो प्रतियों के साथ एक नमूना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक विश्लेषक हरियाणा को भेजा गया था। नमूने पर मुहर का नमूना अंकित था। एक नमूना सिविल अस्पताल, पानीपत के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पास जमा किया गया था। सार्वजनिक विश्लेषक ने विश्लेषण के बाद पाया कि नमूने में बी. कोली बैक्टीरिया मौजूद है। सार्वजनिक विश्लेषक ने नमूने को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया।

(2) सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के बाद और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, प्रतिवादी पर उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पानीपत की अदालत में मुकदमा चलाया गया। अभियोजन मामले के समर्थन में जगन नाथ रहेजा, खाद्य निरीक्षक, पी.डब्ल्यू.एल और डॉ. आर. मित्तल पी.डब्ल्यू.2 से पूछताछ की गई। उन्होंने प्रतिवादी से नमूना लेने को साबित कर दिया। जगन नाथ रहेजा पी.डब्लू. 1 ने प्रतिवादी को एक नमूना देने और दूसरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक विश्लेषक को भेजने और तीसरा पानीपत में वरिष्ठ

चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करने की गवाही दी। श्री ए.एन. मेहता पी.डब्लू.3, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करनाल के कार्यालय के एक क्लर्क, ने 4 जून, 1975 को उस कार्यालय में नमूने के आगमन और एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से सैप दिवस पर सार्वजनिक विश्लेषक को इसके प्रसारण को साबित किया। ,

(3) प्रतिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपने बयान में, उससे नमूना लेने की बात स्वीकार की। उन्होंने दलील दी कि बर्फ डालने के बाद नमूना सार्वजनिक विश्लेषक के पास नहीं भेजा गया। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने नगरपालिका समिति द्वारा आपूर्ति किए गए नल के पानी का उपयोग किया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक, हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण के उद्देश्य से नमूने का विश्लेषण और जांच करने के लिए सार्वजनिक विश्लेषक के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि वह पिछले पांच वर्षों से बेरोजगार हैं और दोनों पैरों में एक्जिमा से पीड़ित हैं और उन्हें भारी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना है।

आरोपी ने अपने मकान मालिक नारायण दास से D.W.2 के रूप में पूछताछ की, ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रतिवादी के साथ किराए पर उसके परिसर में प्रतिवादी के लिए उपलब्ध पानी का एकमात्र स्रोत नगर निगम का पानी का नल था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करनाल, डी.डब्ल्यू.एल के कार्यालय में सहायक, श्री बलवंत सिंह ने मई, 1976 में स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा जारी एक पत्र की प्रति, प्रदर्शनी डी.ए. प्रस्तुत की।

(4) विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने अभियोजन के मामले को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी ईशर दास को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7/16 के तहत दोषी ठहराया, और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 1,000. जुर्माना अदा न करने पर उसे चार माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ईशर दास ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की, जिसकी सुनवाई विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल ने की। भगवंत दास बनाम राज्य और अन्य (1) के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि सार्वजनिक विश्लेषक को भेजी गई बोतलें खाद्य सामग्री का प्रतिनिधि नमूना नहीं थीं, जो प्रतिवादी द्वारा बेची गई थी। उन्होंने यह भी पाया कि खाद्य अपमिश्रण

निवारण नियम, 1955 (बाद में नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 17 और 18 अनिवार्य हैं और इस मामले में उनका पालन नहीं किया गया। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में कहा:-

"इस प्रकार यह स्थापित नहीं किया गया है कि संबंधित ज्ञापन के साथ सील की छाप नमूना वाले सीलबंद पैकेट से अलग से सार्वजनिक विश्लेषक को भेजी गई थी।"

इन दो बिंदुओं पर विचार बनाते हुए उन्होंने अपील स्वीकार कर ली और विद्वान उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज प्रतिवादी की सजा को रद्द कर दिया और उसे आरोप से बरी कर दिया।

(5) हरियाणा राज्य ने प्रतिवादी को बरी करने के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।

प्रस्ताव स्तर पर यह बताया गया कि इस अदालत में इस बात पर मतभेद है कि क्या नियमों के नियम 17 और 18 अनिवार्य हैं या केवल निर्देशिका हैं। म्यूनिसिपल कमेटी, अमृतसर बनाम करनैल सिंह (2) मामले में इस अदालत की एक डिवीजन बेंच ने माना कि नियमों का नियम 18 केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। इस अदालत की एक अन्य डिवीजन बेंच ने स्लेट ऑफ पंजाब बनाम लछमन दास (3) में मामला लाया था। मोशन बेंच के नोटिस पर, जिसमें एक विपरीत विचार व्यक्त किया गया था कि यह नियम अनिवार्य है। भगवानदास बनाम राज्य (4) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले के बारे में यह देखा गया कि नियमों में नियम 22-ए जोड़े जाने के बाद, यह मामला लागू नहीं होता है। प्रस्ताव चरण में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने इस अदालत में विचारों के टकराव को देखते हुए अपील को पूर्ण पीठ के समक्ष स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि दो प्रश्नों के निर्णय हेतु अपील हमारे समक्ष आयी है। पहला यह कि क्या नियमों के नियम 17 और 18 निर्देशिका हैं या अनिवार्य हैं। दूसरा यह कि क्या 1962 में नियमों में संशोधन के बाद नियम 22-ए जोड़ने के बाद एआईआर 1962 पंजाब 419 में निर्णय अभी भी कायम है।

(6) नियमावली के नियम 17 एवं 18 इस प्रकार हैं:-

"17. नमूनों के कंटेनरों को भेजने का तरीका - नमूनों के कंटेनरों को निम्नलिखित तरीके से भेजा जाएगा, अर्थात्: -

(ए) विश्लेषण के लिए नमूने के एक हिस्से का सीलबंद कंटेनर और फॉर्म VII में एक ज्ञापन एक सीलबंद पैकेट में सार्वजनिक विश्लेषक को तुरंत भेजा जाएगा, लेकिन किसी भी उपयुक्त माध्यम से अगले कार्य दिवस के बाद नहीं।

(बी) नमूने के शेष दो भागों के सीलबंद कंटेनर और फॉर्म VII* में ज्ञापन की दो प्रतियां एक सीलबंद पैकेट में स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को तुरंत भेजी जाएंगी, लेकिन नहीं। अगले कार्य दिवस के बाद किसी भी उपयुक्त माध्यम से:

बशर्ते कि एगमार्क सील वाले कंटेनर से लिए गए भोजन के नमूने के मामले में, फॉर्म VII में ज्ञापन में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी शामिल होगी, अर्थात्: -

(प्रथम श्रेणी;

(बी) एगमार्क लेबल नंबर/बैच नंबर;

(सी) पैकिंग स्टेशन का नाम.

18. ज्ञापन और छाप ओजी सील को अलग से भेजा जाएगा। - ज्ञापन की एक प्रति और पैकेट को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई मुहर का एक नमूना छाप सार्वजनिक विश्लेषक को अलग से पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या उसे या किसी को दिया जाएगा। उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति।"

7. नियमावली के नियम 17 और 18 आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही योजना का हिस्सा हैं। पंजाब राज्य बनाम भगवान दास जैन में,

(5) पूर्ण पीठ ने केवल नियम 18 के मामले पर विचार किया, लेकिन नियम 17 भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए आया और इसका परस्पर जुड़े नियम 18 पर प्रभाव पड़ा। खाद्य निरीक्षक द्वारा किसी खाद्य वस्तु का नमूना लेने का उद्देश्य यह है कि इसकी जांच सार्वजनिक विश्लेषक के पदनाम के तहत सरकार द्वारा नियोजित विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह घटिया नहीं है या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त नहीं है या इसका उपभोग करने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। विधायिका ने खाद्य निरीक्षकों द्वारा नमूना लेने का तरीका और नमूना भेजने का तरीका भी फुल-प्रूफ तरीके से प्रदान किया है, ताकि परिवहन के दौरान इनसे छेड़छाड़ न हो। नियमावली के भाग IV में लोक विश्लेषक एवं खाद्य निरीक्षकों की योग्यता एवं कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। नियमों के भाग V में, नमूनों की सीलिंग, बन्धन और प्रेषण के लिए एक व्यापक प्रक्रिया प्रदान की गई है। नियम 14 से 22-बी को नियमों के अध्याय V में जगह मिलती है। इनमें से हमारा संबंध केवल नियम 17 और 18 से

है: इनमें से नियम 18 पर थोड़ी देर बाद विचार किया जाएगा। नियम 17 द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें प्रदान की गई औपचारिकताओं का पालन करना होगा। यदि इनमें से किसी भी औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है, तो पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है। नियमों का उद्देश्य विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक तक पहुंचने तक नमूने की पहचान सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक विश्लेषक के कार्यालय में पारगमन के दौरान नमूने के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई या उसे बदला नहीं गया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना, जो खाद्य निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया था, सार्वजनिक विश्लेषक तक पहुंच गया, यह नियम 17 में प्रदान किया गया है कि फॉर्म VII को खाद्य निरीक्षक द्वारा सार्वजनिक विश्लेषक को एक सीलबंद कंटेनर में नमूना के साथ एक सीलबंद पार्सल में भेजा जाना है। . खाद्य निरीक्षक के कार्यालय में किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए, नियम 17 में भारी संशोधन किया गया और 4 जनवरी, 1977 को इसे वस्तुतः नया रूप दिया गया। संशोधन के प्रभाव को देखने के लिए, पुराने नियम 17 पर एक नज़र डालना आवश्यक है। पुराना नियम 17 था:-

"17. नमूनों के कंटेनरों को वह सार्वजनिक विश्लेषक को कैसे भेजेगा। - विश्लेषण के लिए नमूने के कंटेनर को सार्वजनिक विश्लेषक को पंजीकृत डाक या रेलवे पार्सल या हवाई माल ढुलाई द्वारा, या हाथ से, एक सीलबंद पैकेट में, एक ज्ञापन के साथ भेजा जाएगा। सार्वजनिक विश्लेषक को संबोधित बाहरी आवरण में फॉर्म VII में:

बशर्ते कि एगमार्क सीलबंद कंटेनर से लिए गए भोजन के नमूने के मामले में, फॉर्म VII में ज्ञापन में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी होगी: -

(i) ग्रेड.

(ii) एगमार्क लेबल नंबर/बैच नंबर।

(iii) पैकिंग स्टेशन का नाम।"

जब हम अध्ययन के लिए पुराने और नए नियमों को जोड़ते हैं, तो यह सामने आता है कि नए नियम के अनुसार खाद्य निरीक्षक को जब्त किए गए नमूने और फॉर्म VII को सीलबंद स्थिति में तुरंत सार्वजनिक विश्लेषक के पास भेजना होगा, लेकिन अगले कार्य दिवस से पहले नहीं। इस नियम में दूसरा संशोधन यह है कि फॉर्म VII भी सीलबंद हालत

में भेजना होगा। पहले, इसे केवल नमूने के साथ संलग्न किया जाना था। नियम 17 (ए) में दिए गए तरीके से सील किए गए नमूना कंटेनर और फॉर्म VII को तुरंत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पास जमा करना होगा, लेकिन अगले कार्य दिवस से पहले नहीं। यह संशोधन नमूने के साथ किसी भी छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने के कदमों पर जोर देता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस नियम के प्रत्येक चरण में "करेगा" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी भाषा के अनिवार्य स्वरूप के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है।

नियम 7 एक सार्वजनिक विश्लेषक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। हम केवल नियम 7(1) से चिंतित हैं, क्योंकि केवल यही 'प्रासंगिक व्याख्या' है। नियम 7(1) इस प्रकार है:-

"7. सार्वजनिक विश्लेषक के कर्तव्य.—(1) किसी खाद्य निरीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति से विश्लेषण के लिए नमूने वाले पैकेज की प्राप्ति पर सार्वजनिक विश्लेषक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी कंटेनर पर सील और बाहरी आवरण की तुलना नमूना छाप से करेगा। अलग से प्राप्त किया जाएगा और उस पर मुहरों की स्थिति नोट की जाएगी।"

यदि सार्वजनिक विश्लेषक नमूने को नियम 17 और 18 के अनुरूप नहीं पाता है या नियमों के किसी प्रावधान को दोषपूर्ण पाता है, तो वह नमूने की जांच नहीं करेगा। उसे नियमों में निर्धारित प्रपत्र VII में नमूने और उसके साथ सामग्री की स्थिति नोट करनी होगी। यह प्रति-जाँच इस राय को बल देती है कि नियम 17 अनिवार्य है। भगवान दास जैन के मामले में (सुप्रा) यह देखा गया:-

नियम 7 सार्वजनिक विश्लेषक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी पर विश्लेषण के लिए पैकेज प्राप्त होने पर, कंटेनर और उसके बाहरी आवरण पर सील की तुलना अलग से प्राप्त नमूना सील छाप के साथ करने का कर्तव्य डालता है, न कि उसकी स्थिति का। मुहर। जब तक सार्वजनिक विश्लेषक यह तुलना नहीं करता, वह पैकेज में प्राप्त नमूने की जांच करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह की संतुष्टि और विश्लेषण के बाद, सार्वजनिक विश्लेषक को इन तथ्यों को फॉर्म III (निर्णय के बाद के भाग में पुन: प्रस्तुत) में नोट करना होगा और रिपोर्ट की प्रतियां और परिणाम नियम 7 के उपखंड (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को भेजना होगा। नियम 18 में ज्ञापन की प्रति और सील की प्रतिकृति को 'अलग-अलग' भेजने का प्रावधान करने में नियम बनाने वाले प्राधिकारी का उद्देश्य निस्संदेह स्पष्ट है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सही नमूना या वही नमूना जो एकत्र किया गया था आरोपी से खाद्य

निरीक्षक सार्वजनिक विश्लेषक तक पहुंच गया है और इसकी जब्ती के बाद पारगमन में इसे प्रतिस्थापित या छेड़छाड़ नहीं किया गया था। यदि फॉर्म VII में ज्ञापन की प्रतिलिपि और मुहर की प्रतिकृति एक ही पैकेट में होगी, तो नियम 18 का उद्देश्य, जो नमूने की पहचान को क्रॉसचेक करने का तरीका निर्धारित करता है, विफल हो जाएगा। नियमों में यह प्रावधान आरोपी के पक्ष में किया गया है, ताकि नमूने की पहचान सुनिश्चित हो सके और नियम 17 और 18 में उल्लिखित चीजों को अलग से भेजने पर यह सबसे अच्छा हो सकता है। यह खाद्य निरीक्षक की गतिविधियों पर भी एक जाँच है, यदि उसकी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ प्रेरित है।

हरियाणा राज्य बनाम जगतार सिंह (6) में, जिसे भगवान दास जैन के मामले (नियम) में पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है, इस अदालत की एक डिवीजनल बेंच ने नियम 17 और 18 के संबंध में विचार व्यक्त किया कि ये नियम अनिवार्य हैं। नियम को अनिवार्य बनाने की विधायी मंशा संशोधन और इस्तेमाल की गई भाषा से प्रकट होती है। नियम 17 अनिवार्य है न कि निर्देशिका।

8. जहां तक इस अदालत का संबंध है, नियम 18 के संबंध में स्थिति भगवान दास जैन के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा तय की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह नियम अनिवार्य है। मामले में, पूर्ण पीठ के समक्ष प्रश्न था:-

"इस पीठ के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या नियम 18 के प्रावधान अनिवार्य हैं और क्या यह नियम उल्लंघन किया जाता है यदि फॉर्म VII में ज्ञापन की प्रति और मुहर की छाप एक ही संदेशवाहक के माध्यम से, भले ही अलग से सील की गई हो, भेजी जाती है इस नियम में दिया गया कोई अन्य मोड, एक ही समय में।"

9. भगवान दास जैन के मामले में पूर्ण पीठ ने नियम 18 की अनिवार्य प्रकृति के सवाल पर विस्तार से विचार किया और इस नियम के अनिवार्य चरित्र के पक्ष में इस और अन्य अदालतों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर ध्यान दिया। उस निर्णय से असहमत होने के लिए हमारे सामने कोई प्रभावी तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया। हम उक्त मामले में विचार से सहमत हैं।

10. भगवान दास जैन के मामले में पूर्ण पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम मोहन लाई (7) में इस अदालत की डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें करनैल सिंह के मामले (सुप्रा) में नियम 17 के समान दृश्य था। और 18 निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं व्यक्त किया गया था। फुल बेंच मामले में जगतार सिंह के मामले (सुप्रा) में नियम 17

और 18 को अनिवार्य मानते हुए एक अन्य डिवीजन बेंच का एक दृष्टिकोण उस समय अनुमोदित किया गया था जब भगवान दास जैन के मामले का फैसला किया गया था, डिवीजन बेंच मामले को नगरपालिका समिति अमृतसर बनाम करनैल के रूप में रिपोर्ट किया गया था। सिंह (8) द्वारा हरियाणा राज्य बनाम मोहन लाई के समान विचार व्यक्त करने को खंडपीठ के ध्यान में नहीं लाया गया, हालांकि यह मामला पूर्ण पीठ मामले से पहले तय किया गया था। करनैल सिंह के मामले (सुप्रा) के पैरा 11 में प्रतिवादी के वकील का तर्क था कि ज्ञापन की प्रति और पैकेट को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील की नमूना छाप को सार्वजनिक विश्लेषक को अलग से भेजा जाना था, जो नहीं किया गया था। एक संक्षिप्त अवलोकन द्वारा खारिज कर दिया गया: “इस तर्क को भी निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि खाद्य निरीक्षक से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया था और किसी भी तरह से नियम 18 का उल्लंघन किया गया था। इसके अलावा, हमारी राय है कि नियम 18 केवल एक निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।'' सील की प्रतिकृति भेजने के संबंध में करनैल सिंह के मामले में विद्वान न्यायाधीशों का निष्कर्ष निश्चित रूप से पूर्ण पीठ के समान ही था। करनैल सिंह के मामले में न्यायाधीशों ने अवलोकन किया।

“ पैकेट को सील करने के लिए इस्तेमाल किए गए ज्ञापन और मुहर के नमूने को भेजने का पूरा उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक विश्लेषक ज्ञापन और मुहर की छाप की एक दूसरे के साथ तुलना करने में सक्षम हो सकें; ऐसा नहीं है कि इन्हें अलग-अलग बंडलों में और अलग-अलग डाक या संदेशवाहक द्वारा भेजा जाना है।

हरियाणा राज्य बनाम राम लाई में, (9) एक डिवीजन बेंच ने फिर से वही दृष्टिकोण अपनाया जो करनैल सिंह के मामले (सुप्रा) में लिया गया था। इस मामले में डिवीजन बेंच की टिप्पणियाँ हैं: -

“विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के नियम 17, 18 और 9 (जे) का पालन न करने के लिए बरी कर दिया था, यह मानते हुए कि नियम अनिवार्य थे। मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण गलत प्रतीत होता है। इस अदालत द्वारा यह माना गया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के नियम 17, 18 और 9 (जे) निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं और उनके गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप आरोपी को बरी नहीं किया जाएगा।

यह दृष्टिकोण करनैल सिंह के मामले पर आधारित था। 1979 की आपराधिक अपील संख्या 753 का निर्णय भगवान दास जैन के मामले (सुप्रा) (1981 सीआरएल.एल.जे. 48) में रिपोर्ट की गई पूर्ण पीठ के फैसले के बाद किया गया था, लेकिन इस अपील में इसे खंडपीठ के ध्यान में नहीं लाया गया था। फिर, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा

एक और मामले का फैसला किया गया, जिसे हरियाणा राज्य बनाम सावन राम (10) के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसमें करनैल सिंह और राम लाई (सुप्रा) के मामले में भी वही दृष्टिकोण था। भगवान दास जैन के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले को इस मामले में भी डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया, हालांकि यह निर्णय पूर्ण पीठ के फैसले के बाद किया गया था। सावन राम के मामले में डिवीजन बेंच ने फिर से विचार किया: -

"जहां तक नियमों के नियम 9-ए और 22 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का सवाल है, यह हरियाणा राज्य बनाम राम लाई, सीआर में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा आयोजित किया गया है। 1979 के ए. संख्या 753 में 9 मार्च 1981 को निर्णय लिया गया कि नियम 17, 18 और 9(जे) निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा कश्मीरी लाई बनाम हरियाणा राज्य, (11) में लिया गया है, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया है: -

'निष्कर्ष निकालने के लिए हम यह विचार करते हैं कि नियम 9(जे) भले ही अनिवार्य शर्तों में बनाया गया हो, पदार्थ निर्देशिका में है।'

यह प्रतिवादी है जिसे यह दिखाना होगा कि कोई भी पूर्वाग्रह नियमों के गैर-अनुपालन के कारण हुआ था। प्रतिवादी द्वारा नियम के नियम 9-ए और 22 के गैर-अनुपालन के कारण ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह मानने में गलती कर दी कि ये नियम अनिवार्य हैं। ऐसा लगता है कि उपरोक्त डिवीजन बेंच और पूर्ण बेंच प्राधिकारियों को उनके संज्ञान में नहीं लाया गया। हम तदनुसार मानते हैं कि नियम 9-ए और 22 निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं।

सावन राम के मामले में, 1979 की आपराधिक अपील संख्या 753 और 1981 सी.एल.आर.593 में निर्णय को मिसाल के तौर पर अपनाया गया। मैं यहां जोड़ सकता हूं कि कश्मीरी लाई के मामले में (सुप्रा) नियम 17 और 18 शामिल नहीं थे। इसका संबंध केवल नियम 9(जे) से है। सावन राम के मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीश गलत धारणा में थे कि कश्मीरी लाई का मामला नियम 17 और 18 की अनिवार्य या निर्देशिका प्रकृति से संबंधित है।

11. भगवान में पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर

दास जैन का मामला (सुप्रा) जिससे हम सहमत हैं कि नियम 18 अनिवार्य है, राम लाई के मामले में व्यक्त विचार, 1979 की आपराधिक अपील संख्या 753 और सावन राम का मामला (सुप्रा) यह विचार व्यक्त करते हैं कि नियम 18 निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है। खारिज कर दिया हम यहां जोड़ सकते हैं कि इस न्यायालय के किसी भी अन्य एकल पीठ या डिवीजन बेंच के फैसले को, जो हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, यह विचार व्यक्त करते हुए कि नियम 17 और 18 निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं, उन्हें भी खारिज कर दिया जाएगा। के नियम 17 एवं 18 की अनिवार्य प्रकृति के संबंध में व्यक्त किये गये विचार। लछमन दास के मामले में नियम (सुप्रा) अनुमोदित हैं। का द्वंद्व

जहां तक इन नियमों की प्रकृति का संबंध है, इस न्यायालय में विचार

इस प्रकार विश्राम पर सेट किया गया है।

12. दूसरे प्रश्न के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। भगवानदास बनाम द स्टेट एंड अदर, (सुप्रा) में, फाल्शॉ, सी.जे. ने कहा: -

"यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियम धारा 11 (1) (बी) में उल्लिखित किसी विशेष मामले के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक चूक है जिसे बिना देरी के ठीक करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से उन खाद्य पदार्थों से निपटने के लिए कुछ प्रावधान करना आवश्यक है जो इतनी छोटी मात्रा में पैक किए जाते हैं कि उन्हें तीन भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ताकि प्रत्येक भाग नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार विश्लेषण के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रदान कर सके।

यह तालिका वातित जल क्रमांक 15 पर दिखाई देती है

विश्लेषण के लिए आपूर्ति की जाने वाली अनुमानित मात्रा 20 औंस बताई गई है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से 9 दिसंबर, 1958 की एक अधिसूचना द्वारा 12 औंस के आंकड़े के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। वातित पानी के संबंध में इस नियम का ठीक से पालन करना लगभग असंभव प्रतीत होता है "जो आम तौर पर 12 औंस से अधिक वाली बोतलों में नहीं बेचे जाते हैं, प्रत्येक और अक्सर जैसा कि कोको कोला के मामले में होता है, एक से अधिक सामान्य बोतलों की सामग्री कम होती है और इस प्रकार न्यूनतम आवश्यकता होती है, नियमों में इस चूक को जितनी जल्दी ठीक किया जाएगा, सभी संबंधितों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति देते हुए वातित जल आदि के मामले में नमूनों के संबंध में उचित प्रावधान प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन का सुझाव दिया था। यह निर्णय 24 जनवरी, 1962 को सुनाया गया था। नियमों में संशोधन किया गया और नियम 22 -ए को अधिसूचना संख्या जीएसआर-1564, दिनांक 17 नवंबर, 1962 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन के बाद, भगवान दास के मामले (सुप्रा) में निर्णय नियमों में कमी के कारण निष्क्रिय हो गया है, जिसका लाभ उन्हें दिया गया था। जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया था, उस मामले में अभियुक्तों का उपचार किया गया है। इस फैसले का अब कोई असर नहीं हो सकता.

13. मोशन बेंच द्वारा संदर्भित दो बिंदुओं पर निर्णय के बाद, हम मामले के गुण-दोष पर आते हैं। हमने पाया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रतिवादी को केवल दो आधारों पर बरी कर दिया है: (1) नियमों के नियम 18 के उल्लंघन के आधार पर, क्योंकि यह स्थापित नहीं है कि मुहर की छाप ज्ञापन के साथ भेजी गई थी। सार्वजनिक विश्लेषक और (2) भगवान दास के मामले में निर्णय के आधार पर।

14. जहां तक पहले आधार का सवाल है, यह कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है और इसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के संदर्भ में तय किया जाना है। P.W.I के रूप में उपस्थित खाद्य निरीक्षक, जगन नाथ रहेजा ने कहा: -

"फॉर्म VII की दो प्रतियों के साथ एक नमूना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा को भेजा गया था। इस पर प्रयुक्त मुहरों के निशान हैं।"

श्री ए.एन.मेहता पी.डब्लू. 3, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करनाल के कार्यालय में क्लर्क, पी.डब्ल्यू.3, ने रिकॉर्ड की मदद से बताया कि नमूना 4 जून, 1975 को उस कार्यालय में प्राप्त हुआ था और इसे उसी दिन सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था। संतोख सिंह, ड्राइवर, विशेष दूत के माध्यम से दिन। संतोख सिंह पब्लिक एनालिस्ट से रसीद लेकर आये थे। सार्वजनिक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट एक्ज़िबिट पी.ओ. प्रमाणित:-

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि 'मैं, जगदीश किशोर, सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा के सभी स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के तहत विधिवत नियुक्त किया गया हूं - श्री जगन नाथ से 4 जून, 1975 को प्राप्त हुआ। चीनी के साथ मीठा किया गया क्राउन कोला वातित पानी का नमूना 75/जेएनआर/62 श्री इशर दास से विश्लेषण के लिए जब्त किया गया और ठीक से सील किया गया और मुझे सील बरकरार और टूटी

हुई मिली। नमूने के कंटेनर पर लगाई गई सील खाद्य निरीक्षक द्वारा अलग से भेजे गए सील के नमूने के निशान से मेल खाती है और नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति में था।

15. नियम 17 के अनुसार नमूना जब्त करने वाले व्यक्ति को एकत्र किए गए जब्त किए गए नमूने और फॉर्म VII में ज्ञापन को तुरंत सार्वजनिक विश्लेषक को या अगले दिन भेजना होगा। नियम 18 निर्धारित करता है कि ज्ञापन की एक प्रति और पैकेट को सील करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुहर का एक नमूना छाप सार्वजनिक विश्लेषक को पंजीकृत डाक द्वारा अलग से भेजा जाएगा या उसे या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को दिया जाएगा।

16. इन नियमों के उद्देश्य को समझाते हुए और नियम 18 में प्रयुक्त शब्द 'अलग से' की व्याख्या करते हुए, भगवान दास जैन के मामले में यह देखा गया (सुप्रा): -

"जब नियम 7, 17 और 18 का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी नमूने की पहचान सुनिश्चित करना चाहता था और इसी कारण से उसे क्रॉस-चेक करने के उपाय प्रदान किए गए थे। इसे ज्ञापन की प्रति और मुहर की प्रतिकृति को अलग से भेजने और सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा फॉर्म III में अपनी रिपोर्ट में इस आशय को प्रमाणित करने पर जोर देकर हासिल करने की मांग की गई थी। 'अलग-अलग' शब्द यह मांग नहीं करता कि ये दोनों पैकेज अलग-अलग समय पर या अलग-अलग व्यक्तियों के माध्यम से भेजे जाएं। इसका मतलब यह है कि फॉर्म VII में नमूना और ज्ञापन को मुहर के नमूना छाप से अलग रखा जाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों पैकेट एक ही व्यक्ति को सौंपे जाएं या एक ही समय में एक एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक विश्लेषक को भेजे जाएं। प्रसंग में प्रयुक्त 'अलग-अलग' शब्द के शाब्दिक अर्थ भी कोई अन्य संकेत नहीं देते।'

भगवान दास जैन के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने फॉर्म VII में ज्ञापन की प्राप्ति के संबंध में सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट को दिए जाने वाले प्रभाव और नियम 17 के तहत अलग से भेजी जाने वाली मुहर की प्रतिकृति पर भी विचार किया। । ऐसा देखा गया: -

"अधिनियम की धारा 13(5) के अनुसार सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट इसकी सामग्री का प्रमाण है। नियम 7 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में सार्वजनिक विश्लेषक को यह पता लगाना है कि सील के नमूने के पैकेज

और कंटेनर को खाद्य निरीक्षक द्वारा अलग से भेजा गया था। जब तक इसके विपरीत कुछ भी साबित न हो, यह माना जाना चाहिए कि सार्वजनिक विश्लेषक ने नियमों के अनुसार काम किया, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कि सील का नमूना उसे अलग से भेजा गया था और यह सील के साथ मेल खाता है कंटेनर का. मौजूदा मामले में, सार्वजनिक विश्लेषक ने फॉर्म III में अपनी रिपोर्ट में, हालांकि इसकी सामग्री मुद्रित है, सील के नमूने के साथ सील के मिलान के बारे में पाया है, जो उन्हें अलग से भेजा गया था।

17. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, भगवान दास जैन के मामले (सुप्रा) में, 'अलग-अलग' शब्द की व्याख्या की गई है (मतलब कि इन दोनों चीजों को एक समय में या एक एजेंसी के माध्यम से अलग-अलग भेजा जा सकता है। खाद्य निरीक्षक ने कहा कि उन्होंने भेजा है) मुख्य चिकित्सा अधिकारी की एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक विश्लेषक को नमूना और फॉर्म VII की प्रतियां। श्री ए.एन. मेहता पी.डब्ल्यू. 3 ने खाद्य निरीक्षक से प्राप्त पैकेजों को उसी दिन सार्वजनिक विश्लेषक को आगे भेजने की गवाही दी।' नमूना 3 जून, 1975 को अपराह्न 3.25 बजे लिया गया था। सीलिंग की प्रक्रिया, फॉर्म भरने और नमूना लेने से जुड़े अन्य काम करने में समय लग गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनका प्रेषण तक विलंबित हो गया। अगले दिन। सार्वजनिक विश्लेषक को यह बताना होगा कि उसके कार्यालय में सभी चीजें किस रूप और स्थिति में प्राप्त हुईं। इस मामले में प्रासंगिक विवरणों वाली सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रदर्शनी पी.डी. को ऊपर निकाला और पुन: प्रस्तुत किया गया है, और रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताता है कि सील का नमूना प्राप्त हो गया था और यदि अलग से सील किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि एक्ज़िबिट पी.डी. मुद्रित रूप में था, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि भगवान दास जैन के मामले (सुप्रा) में माना गया है, सार्वजनिक विश्लेषक की यह रिपोर्ट उनके सार्वजनिक और वैधानिक कार्यों के निर्वहन में है। यह देखना उसका कर्तव्य है कि क्या फॉर्म VII, नमूना और उसे भेजी गई मुहर की प्रतिकृति नियम 18 के प्रावधानों के अनुसार है। यह प्रमाण पत्र नियम 7 के तहत फॉर्म III में नियम द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर है। 3). उन्होंने जो कुछ भी पाया और देखा कि वह सही ढंग से किया गया था उसे एक्ज़िबिट पी.डी. में दर्ज किया गया था। यदि नियम 18 के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ होता तो वह इसे अपने प्रमाणपत्र में दर्ज कर सकते थे। यदि उसे सील का नमूना प्राप्त ही नहीं हुआ था या उसे नमूना युक्त एक ही पैकेट में प्राप्त हुआ था, अलग से नहीं, या देरी से प्राप्त हुआ था, तो ऐसी जानकारी, स्थिति के अनुसार, प्रदर्शनी में उल्लिखित की जानी चाहिए थी पी.डी. नियमों द्वारा

उस पर लगाए गए कर्तव्यों के निर्वहन में सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा किए गए सभी कार्य, जब नियमित रूप से किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि वे सही ढंग से किए गए हैं। सार्वजनिक विश्लेषक को सील का नमूना और प्रतिकृति अलग-अलग प्राप्त हुई। जब तक इसे खाद्य निरीक्षक द्वारा अलग से न भेजा गया हो, उसे यह उस प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता था।

पंजाब राज्य बनाम लछमन मामले में टिप्पणियाँ। दास (सुप्रा) का कहना है कि: "इन परिस्थितियों में, केवल सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में उपरोक्त कथन के आधार पर यह मानना खतरनाक होगा कि मुहर का नमूना छाप उसे अलग से भेजा गया था" यह आग्रह करने के लिए संदर्भित किया गया कि केवल मुद्रित प्रोफार्मा पर सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट नियम 17 और 18 का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। उस मामले में नमूने भेजने के तथ्य इस प्रकार थे: -

"यह नहीं कहा जा सकता है कि खाद्य निरीक्षक ने नियम 18 के प्रावधानों का अनुपालन किया है, खासकर जब नियम 17 के अनुसार, नमूना को फॉर्म VII में सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा जाना आवश्यक है, जिसके पैराग्राफ 2 को पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रपत्र की एक प्रति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है

नियम 18 के अनुसार ज्ञापन और नमूने के पैकेट को सील करने के लिए इस्तेमाल की गई सील का एक नमूना छाप अलग से भेजा गया था। हालांकि, खाद्य निरीक्षक ने सार्वजनिक विश्लेषक को नमूना अग्रेषित करते समय उपरोक्त फॉर्म का उपयोग नहीं किया है। यह सच है कि सार्वजनिक विश्लेषक की मुद्रित रिपोर्ट में, अन्य बातों के अलावा, यह कहा गया है कि "नमूने के कंटेनर पर लगाई गई सील" खाद्य निरीक्षक द्वारा अलग से भेजी गई सील की नमूना छाप के साथ मेल खाती है और नमूना एक में था विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति।" नियम 18 के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होने के कारण अभियोजन पक्ष के लिए रिकॉर्ड पर संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था ताकि यह दिखाया जा सके कि उन प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया, खाद्य निरीक्षक ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, उपरोक्त कथन को केवल आधार पर रखना कठिन होगा। 'सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट है कि मुहर का नमूना छाप उन्हें अलग से भेजा गया था।'

लछमन दास के मामले में (सुप्रा) खाद्य निरीक्षक सार्वजनिक विश्लेषक को नमूने के साथ नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म VII में ज्ञापन नहीं भेजकर नियम 17 का अनुपालन करने में विफल रहा। जब खाद्य निरीक्षक क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा, तो सार्वजनिक विश्लेषक के प्रमाण पत्र से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। लछमन दास (सुप्रा) के मामले में अवलोकन उस मामले के साक्ष्य के आधार पर किया गया था। लछमन दास के मामले में की गई टिप्पणी, जिस संदर्भ में की गई थी, वह यह नहीं बताती है कि किसी भी स्थिति में मुहरों के नमूने और प्रतिकृति की प्राप्ति के बारे में मुद्रित प्रारूप में सार्वजनिक विश्लेषक का प्रमाण पत्र अलग से नहीं लिया जा सकता है। नियम 17 और 18 का अच्छा या पर्याप्त अनुपालन।मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड पर और खाद्य निरीक्षक के बयान और शिकायत में दावे के पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं कि सील का नमूना, फॉर्म और प्रतिकृति नियम 17 के अनुसार सार्वजनिक विश्लेषक को भेजी गई थी। और 18.

18. प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि नियम 18 का उल्लंघन किया गया, रिकॉर्ड के विरुद्ध है और इसके तहत कार्य करने वाले अधिकारियों के आधिकारिक और वैधानिक कार्यों के निर्वहन में किए गए आधिकारिक कृत्यों की व्याख्या के भी विपरीत है। अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की सहायता से। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसे ऊपर देखे गए रिकॉर्ड के तथ्यों से नहीं निकाला जा सका।

9. दूसरा आधार जिस पर प्रतिवादी को बरी करना आधारित है वह भगवान दास का मामला है जो पैराग्राफ 12 में ऊपर देखी गई बातों के मद्देनजर पूरी तरह से अस्थिर है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को नियम 22-ए के सम्मिलन और उन परिस्थितियों का संज्ञान नहीं था जिनमें इसे नियमों में जोड़ा गया था। वह इस विचार के तहत काम कर रहे थे कि अधिनियम और नियमों में कमी, जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने बताया था, अभी भी विधायिका द्वारा पूरी नहीं की गई है। वह स्वयं कानून के अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने में लापरवाही बरत रहे थे, लेकिन अपने फैसले के पैरा 9 में विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपनी टिप्पणियों में बहुत असहिष्णु थे। ये टिप्पणियाँ पूरी तरह से अनावश्यक थीं और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को इससे बचना चाहिए था। दूसरे आधार पर भी निष्कर्षों को अलग रखा गया है।

20. उन आधारों के निपटान के साथ, जिन पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था, हम प्रतिवादी के खिलाफ मामले की योग्यता पर आते हैं। उन्होंने अपने परिसर से क्राउन कोला का नमूना लेने का विरोध नहीं किया, जो सार्वजनिक बिक्री के लिए था। उनके बचाव में आग्रह किया गया आधार यह है कि सार्वजनिक विश्लेषक परिपत्र पत्र प्रदर्शनी डी. 1 के कारण बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण के लिए नमूने का विश्लेषण नहीं कर सके। हमने प्रदर्शनी डी. 1 का अध्ययन किया है। यह हरियाणा स्मॉल स्केल सोडा वाटर फैक्ट्रीज़ यूनियन के प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाया गया था। प्रदर्शनी डी. 1 का प्रासंगिक भाग है:-

"उनके अनुरोध पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण के लिए सोडा पानी की बोतलों का परीक्षण तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि बैक्टीरियोलॉजिकल अध्ययन के लिए नमूने लेने की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती है और कर्मचारियों को ऐसे नमूनों को जब्त करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। निनियन समय में खाद्य अधिकार वाले सभी अधिकारी केवल रासायनिक विश्लेषण के लिए सोडा पानी के नमूने लेंगे। हालांकि, ऐसे खाद्य निरीक्षक उचित सफाई के साथ-साथ बोतलों की सफाई की उचित व्यवस्था के लिए परिसर का निरीक्षण करेंगे और यह भी देखेंगे कि उपयोग किया जाने वाला पानी उचित स्रोत जैसे नगरपालिका जल आपूर्ति या गहरे ट्यूबवेल से है।

इस सर्कुलर में यह कहीं नहीं कहा गया है कि हरियाणा में सार्वजनिक विश्लेषक की प्रयोगशालाएं खराब हैं या बैक्टीरियोलॉजिकल जांच की कोई सुविधा नहीं है। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि क्या हरियाणा में सार्वजनिक विश्लेषकों के पास इन परीक्षणों को करने के लिए शिक्षा या प्रशिक्षण या परीक्षण कौशल की कमी है। यह केवल खाद्य निरीक्षकों को संदर्भित करता है, जिन्हें सोडा वाटर कारखानों से ऐसे नमूने लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना था। प्रदर्शनी डी. 1 सार्वजनिक विश्लेषक को बैक्टीरियोलॉजिकल जांच के लिए नमूने का परीक्षण करने के कर्तव्य से वंचित नहीं करता है, यदि नमूना, उचित रूप से जब्त किया गया, नियमों की सभी शर्तों को पूरा करते हुए उसके पास पहुंचता है। इस मामले में न तो कोई सबूत है और न ही कोई सुझाव है कि नमूना ठीक से जब्त नहीं किया गया था या खाद्य निरीक्षक, जगन नाथ रहेजा पी.डब्लू. 1, इसे एकत्र करने के लिए योग्य या प्रशिक्षित नहीं था। इस मामले में नमूने वातित पानी के क्राउन कोला की कॉर्क वाली बोतलें हैं। कॉर्क ठीक से लगाए गए थे और जगन नाथ रहेजा पी.डब्ल्यू. 1 या किसी अन्य द्वारा जब्त किए जाने के समय से लेकर सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा इनकी जांच किए

जाने तक बोतलों में कुछ भी डाले जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वातित जल के नमूने का संरक्षण कोई तर्क नहीं है। बर्फ की अनुपस्थिति बी-कोलाई बैक्टीरिया के विकास में योगदान नहीं देती है। एक बार यह साबित हो जाए कि नमूना ठीक से जब्त कर लिया गया है, तो प्रदर्शन डी. 1 सार्वजनिक विश्लेषक के लिए नमूने का विश्लेषण करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। हमें इस मामले में खाद्य निरीक्षक द्वारा नमूने की उचित जब्ती और संरक्षण के बारे में कोई संदेह नहीं है। किसी भी गवाह से मामले के इस पहलू पर कोई जिरह नहीं की गई। इस विवाद को खारिज किया जाना चाहिए।

21. नमूना लेना प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नमूने में बी-कोली बैक्टीरिया था और यह मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त था। यह बताने का प्रयास किया गया कि प्रतिवादी केवल नल के पानी का उपयोग करता है। नारायण दास डी.डब्ल्यू.2, उस परिसर का मकान मालिक जिसमें प्रतिवादी अपना सामान रखता है। वातित जल के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय की जांच यह बताने के लिए की गई कि प्रतिवादी के पास जल आपूर्ति के आयन स्रोत के रूप में नगर निगम का नल है। यह साबित नहीं हुआ कि नगर निगम के पानी में यह बैक्टीरिया है या बोतलों को भरने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में मौजूद नहीं था, या जिस परिसर में भरने की प्रक्रिया चल रही है, वह उस समय तक स्वच्छ था 1: बिल्ली के बच्चे भरे हुए थे। इस तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रतिवादी का पानी पर कोई नियंत्रण नहीं था या वह इस विशेष बैक्टीरियोलॉजिकल विकास को नहीं रोक सकता था। वह अपने परिसर में वातित जल तैयार करता है और इसे ओब्लिक को बेचता है। यह वह है जिसे सभी सावधानियां बरतनी होंगी कि उसका उत्पाद, जो मानव उपभोग के लिए है, उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए और बी-कोली इत्यादि जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल विकास से मुक्त होना चाहिए।

22. जगन नाथ रहेजा पी.डब्ल्यू द्वारा 3 जून, 1975 को प्रतिवादी से जब्त किया गया सैन एनपीले। इस प्रकार 1 अधिनियम में दी गई परिभाषा के अंतर्गत मिलावटी साबित होता है। इसलिए, हम अपील स्वीकार करते हैं, बरी करने का आदेश देते हैं और प्रतिवादी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत दोषी ठहराते हैं; ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया गया।

23. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी एक पोगर आदमी है जिसके पास छोटे बच्चे हैं और उसके दोनों पैरों में एक्जिमा है। उन्होंने आग्रह किया कि सजा के मामले में उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। उन्होंने जुर्माना लगाने के लिए ही प्रचार किया।

24. बी-कोलाई एक जीवाणु है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। प्रतिवादी क्राउन कोला की तैयारी के माध्यम से इस संक्रमण को जनता को बेच रहा था। यह स्वास्थ्य के लिए ख़तरा है और इसके संभावित नुकसान को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ख़तरे को कम नहीं आंका जा सकता। इसे देखते हुए हमें अधिनियम की धारा 16 के तहत निर्धारित न्यूनतम से कम करने के लिए सजा में नरमी का कोई आधार नहीं मिलता है। पैरों या बड़े परिवार में एक्जिमा शायद ही कम करने वाली परिस्थिति है। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ के निर्णयों पर भरोसा किया, जैसे उमेद सिंह बनाम हरियाणा राज्य (12), आपराधिक पुनरीक्षण करम सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश का राज्य (13), सुरिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (14), और ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (15), जिसमें निर्धारित न्यूनतम से कम सजा दी गई थी। समर्थन के लिए उमराव सिंह बनाम हरियाणा राज्य (16) का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें आग्रह किया गया कि केवल पहले से भुगती गई सजा और जुर्माना लगाया जाए। उमराव सिंह के मामले (सुप्रा) में मामले के तथ्य शामिल नहीं हैं। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट थे कि नरम सज़ा के लिए परिस्थितियाँ मौजूद थीं। जहां तक इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों के निर्णयों का सवाल है, वे सजा को कम करने का कोई कारण नहीं बताते हैं और उन मामलों के तथ्यों ने उन मामलों से निपटने वाले विद्वान न्यायाधीशों के दिमाग को प्रभावित किया है। धारा 16 न्यूनतम सजा का प्रावधान करती है, यदि अधिनियम के तहत कोई अपराध बनता है, तो न्यायालय उन कारणों का आविष्कार करके कम सजा देने का विकल्प नहीं चुन सकता है, जो धारा 16 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते हैं। क़ानून की नीति खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ निवारक सजा पारित करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। इस इरादे से, विधायिका ने इस अधिनियम के तहत विचारणीय मामलों में अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगा दी। दंड-विद्या की बदलती अवधारणा के बावजूद, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम में लागू होने से बाहर रखा गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से रोकने के विचार

से ऐसा किया गया है और न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। केवल उन्हीं आरोपियों को कम सजा दी जा सकती है, जिनके मामले धारा 16 के प्रावधान के दायरे में आते हैं और अन्य, जिनके मामले इसके दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है। हम यह नहीं पाते हैं कि प्रतिवादी का मामला अधिनियम की धारा 16 के परंतुक द्वारा प्रदान किए गए किसी अपवाद के अंतर्गत आता है या नहीं। इस मामले में, हम लंबी मुकदमेबाजी को कम सजा के आधार के रूप में लेने के लिए प्रतिवादी के विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं।

25. इसलिए, हम प्रतिवादी को छह महीने के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा देते हैं। 1,000. जुर्माना अदा न करने पर उसे चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल- मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान- मैं भी सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा